03/9/2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। जवाब सरकार आदिनांक प्राप्त नहीं। सरकार के खिलाफ अनुतोष भी नहीं चाहा गया है। अतः जवाब सरकार बंद किया जाता है। प्रार्थी द्वारा जवाब-उल-जवाब बिना प्रस्तुत करे ही अग्रिम कार्यवाही चाही। अतः प्रार्थी द्वारा स्वयं जवाब-उल-जवाब दर्ज नहीं कराने पर सहमति दी। प्रार्थना पत्र धारा 212 पर उभयपक्ष बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा कथन किया कि वादी क्र 1 से 6 की माँ तथा प्रति. 1 ता 8 के पिता तथा प्रति 9 सगे भाई बहन हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की सम्पत्ति में पुत्र व पुत्री का समान हिस्सा निहित होने के कारण तथा मुताबिक राजस्व अभिलेख भी वादी पैतृक सम्पत्ति में विधिक वारिसान होने से उनको अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी हैं। इसके लिए

धारा .... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	न्यायालय मे वाद के लम्बित रहते अस्थाई जारी रहना अत्यंत अनिवार्य है क्योंकि इस अवधि मे विवादित आराजी के खुर्द-बुर्द होने की संभावना है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा कथन प्रस्तुत किया कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी मे रिकॉर्ड खातेदार दर्ज है। अस्थाई निषेधाज्ञा से उनके हक विपरीत रूप से तथा नकारात्मक रूप से प्रभावित है अतः इसे खारिज किया जावे। उभयपक्ष पक्ष चर्चा सुनी गई तथा मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 10.01.2024 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी जिसके अनुसार ग्राम कम्बालिया खुर्द प.ह. गण्डावद तह. पीपल्दा स्थित कृषि आराजी ख.नं. 205 रकबा 3.18 है. मे अप्रार्थीगण के विरुद्ध रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे। यह अस्थाई निषेधाज्ञा सम्पूर्ण रकबे के सम्पूर्ण हिस्से पर प्रभावी है जबकि वादी द्वारा वाद पत्र मे विवादित आराजी के 1/4 हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा संबंधी अनुतोष चाहा है। अप्रार्थी द्वारा भी जवाब दावे मे प्रार्थी द्वारा भाई रघुवीर को बाहर रखने की बात कही है तथा पारिवारिक राजीनामे का कथन किया है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी तथा अप्रार्थी के मध्य पिता की सम्पत्ति, पैतृक या स्वअर्जित जो कि विचारण का विषय है, मे अधिकारों से संबंधित है। चूंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, सहदायिकी अधिकार संबंधी

.... बनाम ....

.... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
	माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसलों के प्रकाश मे भाई-बहन दोनों समान रूप से पिता की सम्पत्ति मे हक रखते है। परन्तु सम्पूर्ण रकबे पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को उनके विधिक अधिकारों के सम्यक प्रयोग मे बाधा या अवरोध कारित होने की संभावना है। सम्पूर्ण हिस्से/भाग पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना व प्रभाव मे रहना अप्रार्थी के Undue Hardship का कारण बन सकता है। अतः CPC Order 39 Rule 4 के प्रावधानों के अनुरूप पूर्व मे 10.01.2025 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा मे परिवर्तन करते हुए ख.नं. 205, रकबा 3.18 हे. मे प्रार्थी के Notional share तक मे अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त हिस्से मे राजस्व रिकॉर्ड की यथा-स्थिति बनाये रखे तथा बेचान, रहन, दान, गिफ्ट इत्यादि न तो स्वयं करे न ही अपने प्रतिनिधि से करवाये। उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा हस्तगत प्रकरण के अंतिम निर्णय तक प्रभावी रहेगी। फैसला पृथक से लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। [signature] 03/09/2025	